न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –110/2019
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2019/00155

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. काशीराम पुत्र लालाराम जाति नाई 2. राजूराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासीगण रायधनु तहसील व जिला नागौर		1. श्रीमति हेमी पत्नि रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम के कायम मुकामान रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर 2. तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सैन।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 02-08-2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2016 हेमी बनाम काशीराम में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.12.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रामनिवास ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.2016 को प्रस्तुत किया कि, खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा मौजा रायधनु में है। जिस पर काशीराम पुत्र लालाराम, राजूराम पुत्र काशीराम जाति नाई ने खेत पर जबरन कब्जा कर मकान बनाना शुरू कर दिया है। जिसका कब्जा दिलाया जाने का प्रस्तुत किया, जो जिला कलक्टर नागौर ने तहसीलदार नागौर को पृष्ठांकित करते हुए आदेश प्रदान किये की धारा 183बी के तहत् प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें। जिसकी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का रायधनु से ली गई। जिसके अनुसार ग्राम रायधनु के मूल खसरा नम्बर 261 में सें खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नि रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम गुरडा के नाम दर्ज है। ग्राम रायधनु के पुराने नक्शें में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई है। जो खसरा नम्बर 261/2, 258, 992/261 व 1094/261 के मध्य है। रेकर्ड व मौके पर मिलान करने पर खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में सें 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काशीराम पुत्र लालाराम, राजूराम पुत्र काशीराम नाई निवासी रायधनु द्वारा पक्का निर्माण, टांका, बाडा आदि बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत पटवारी हल्का के अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट की। जिस पर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया। अप्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जवाब पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही विधि विरूद्ध व बिना विधिक अधिकारों के प्रस्तुत की है। प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थीया के पुत्रों के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष बाबुलाल बनाम नृसिंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

राम प्रकरण चल रहा है। पटवारी हल्का ने 1045/261 रकबा 7 बीघा की तरमीम ही नहीं की हुई है उक्त भूमि सरकारी भूमि रही है जिस पर 30–40 वर्षो से मकान बाडे शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार नागौर ने खसरा नम्बर 261 रकबा 2 **बीघा** 10 बिस्वा पर अतिक्रमण मानते हुए धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का नोटिस अप्रार्थीगण को **दिया था।** प्रार्थीया का खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा जमीन की नक्शें में तरमीम नहीं हो रखी है, न ही मौके पर प्रार्थीया का कब्जा है। पुनःश्चय में यह अंकित किया कि, खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा के आंवटन आदेश की प्रति व नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा में तरमीम दर्ज नहीं है। विवादित सरकारी आराजी में बाबुलाल की पत्नी चम्पा के नाम इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत पक्का मकान का निर्माण, जल ग्रहण नियम के तहत् टांका निर्माण व स्वच्छ भारत के तहत् शौचालय बनाया गया है।

प्रार्थी के विरूद्ध आंवटन निरस्त करवाने के लिये माननीय जिला कलक्टर नागौर के समक्ष आवेदन पेश किया है जो वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में जवाब आने के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थीगण की साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात् उक्त प्रकरण में सुनवाई करनी चाहिए थी किन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एंव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के खिलाफ जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी हेमी के पुत्र रामनिवास उर्फ रामलाल ने माननीय जिला कलक्टर नागौर को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि, मेरे पिता के आंवटन सुदा भूमि खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा जमीन पर अप्रार्थीगण/अपीलांट व दीगर अन्य लोगो ने उक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार नागौर के आदेश क्रमांक/भू.अ./16/7955–61 दिनांक 20.12.2016 को एक टीम गठित की गई जिस टीम में आर.आई. हल्का कुम्हारी, आर.आई. हल्का अलाय, पटवारी रायधनु, पटवारी सिणोद एंव पटवारी बासनी के साथ मौजा रायधनु के खसरा नम्बर 261 पर दिनांक 21.12.2016 को पहुंचकर माप चौक कर निरीक्षण कर मौके पर ही मौका रिपोर्ट तैयार की एंव उस मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1045/261 की नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है तथा न ही मौके पर खातेदार का कब्जा है। इसके अलावा आगे मौका रिपोर्ट में यह भी अंकन किया कि, खसरा नम्बर 261 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 261/4 रकबा 0.15 बीघा कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा रेकर्ड अनुसार सरकारी भूमि दर्ज है। जो भिन्न–भिन्न आठ जगहों पर स्थित है तथा अलग–अलग व्यक्तियों का कब्जा है तथा राजूराम पुत्र काशीराम का मकान इसी भूमि पर स्थित है एंव सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों का विवरण दिया गया। जिसके अनुसार कॉलम सी में दो बीघा दस बिस्वा भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा माना। इससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त भूमि का मौके पर कोई तरमीम नहीं किया हुआ था तथा जिस जायंगा पर अपीलांट्स का कब्जा है वह रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि कभी रही ही नहीं व न ही वर्तमान में है। फिर भी राजस्व टीम की उक्त मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्ध आदेश जेर अपील पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट्स ने जवाब के साथ तहसीलदार [illegible] तैयार की गई खसरा परिवर्तनशील की सम्वत् 2053, सम्वत् 2054, सम्वत् 2055, सम्वत् 2056 के अनुसार उक्त भूमि को सरकारी भूमि मानकर अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् की गई थी, ऐसी स्थिति में तहसील व पटवारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी की नहीं होकर सरकारी भूमि रही है। इसके बावजूद माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी ही राय के विपरीत जाकर उक्त आदेश जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट्स ने माननीय सिविल न्यायाधीश नागौर के समक्ष दीवानी वाद व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन रेस्पोडेन्ट व उसके भाईयों के विरूद्ध पेश किया हुआ है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 107/2016 में अपीलांट्स के पक्ष में एंव रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश ताफैसला वाद पारित किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलांट्स ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी जिस पर भी विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सिविल वाद पेश किया गया था। उस वक्त तक पटवारी हल्का रायधनु से दिनांक 08.06.2016 को खसरा नम्बर 261 की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, जिसमें भी पटवारी हल्का रायधनु ने खसरा नम्बर 261 की तरमीम अस्पष्ट मानी एंव उसमें कहीं भी खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम अंकित नहीं की। जिससे साफ दर्शित होता है कि, अपीलांट का कब्जा सरकारी भूमि पर है न की रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर उक्त नक्शा ट्रेस की प्रति का अवलोकन किये बिना ही केवल मात्र खातेदारी में नाम दर्ज हो जाने के आधार पर रेस्पोडेन्ट की जमीन कब्जा मानकर उक्त आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट्स को जब यह आभाष हुआ कि, तत्कालीक पटवारी एंव तत्कालीन तहसीलदार रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में है एंव अपीलांट की कब्जा सुद व मकान बाडे की जमीन पर फर्जी तरमीम काटने पर आमादा है जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक विधिक नोटिस भी तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी हल्का व आर.आई. को अपीलांट्स की कब्जा सुद उक्त जमीन पर तरमीम नहीं काटने का दिया फिर भी नोटिस मिल जाने के पश्चात् पुराने लट्टे नक्शे में काट छांट कर उपरोक्त विवादित भूमि पर तरमीम काट दी थी उक्त गलत रूप से काटी गई तरमीम को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट्स ने धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष आवेदन पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 54/2018 है जो अभी विचाराधीन है एंव उक्त आवेदन में माननीय उपखण्ड अधिकारी नागौर ने अपीलांट्स के पक्ष में व रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर के विरूद्ध अंतरिम स्थगन इस आशय का पेश किया कि मौजा रायधनु के खसरा नम्बर 261 में सें 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जो आज दिन तक प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश व आदेशिका की प्रमाणित प्रति अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जिस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। दिनांक 11.07.2019 को अपीलांट ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि, नक्शा लट्ठा ट्रेस किश्तवार सन् 1958 मौजा रायधनु को तलब किये जाने का निवेदन किया उक्त आवेदन का निस्तारण किये बगैर ही सीधे ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

उक्त प्रकरण की आदेशिका दिनांक 19.9.2017 में अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया कि पटवारी हल्का रायधनु को प्रार्थी हेमी के कायम मुकामान की रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को पेश हो। पटवारी हल्का रायधनु द्वारा पत्रावली के फैसले होने तक हेमी के सभी कायम मुकामान को पक्षकार बनाये बिना एंव संशोधित शीर्षक पेश किये बगैर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। जब अपीलांट्स को यह आभाष हुआ कि, अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एंव रेस्पोडेन्ट ने आपस में दुरभी संधी कर ली है एंव उक्त प्रकरण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है तब अपीलांटस ने एक आवेदन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया। जिस पर माननीय जिला [illegible] संख्या 2 को नोटिस जारी कर पैरावाईज टिप्पणी पेश करने हेतु दिनांक 16.[illegible]019 [illegible] पेश करने हेतु आदेश दिया था। उक्त नोटिस दिनांक 28.11.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 [illegible] नागौर को मिल जाने के उपरान्त भी दिनांक 2.12.2019 को उक्त [illegible] सुनवाई क [illegible] का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो [illegible] के विरूद्ध व मनमाना होने से अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

नागौर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 01 / 2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील श्री भगवानसिंह ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि रामनिवास पुत्र श्री चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र जाति गुरड़ा(मेघवाल) निवासी रायधनू ने जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा रायधनू में स्थित खेत खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा स्वंय तथा अपनी माता की खातेदारी है। उक्त खेत पर काशीराम पुत्र लालाराम, राजुराम पुत्र काशीराम, लादुराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी रायधनू द्वारा जबरन नाजायज तौर पर कब्जा कर मकान बनाने शुरु कर दिये है, इत्यादि अवगत कराते हुऐ अपनी खातेदारी कि भूमि का नाप कर कब्जा दिलाने तथा अवैध रूप से बनाये गये मकानों को हटवाये जावे व विरोधी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा उक्त मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार नागौर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया।

उक्त संबंध में पटवारी रायधनू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 में खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा में से 2–10 बीघा भूमि पर काशीराम पुत्र लालाराम जाति नाई व राजूराम पुत्र काशीराम जाति नाई द्वारा पक्का मकान, टांका, बाड़ा आदि बनाकर अतिक्रमण किया हुआ होना बताया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2016 हेमी बनाम काशीराम एवं राजूराम दर्ज कर अपीलान्टस् को नोटिस जारी किया गया।

अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.17 अपीलान्टस् के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्श्चात दिनांक 18.09.2017 को आदेश पारित कर प्रार्थी हेमी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया।

उक्त आदेश पारित होने के पश्चात वकील अपीलान्टस् द्वारा एक आवेदन दिनांक 19.09.17 को पेश कर उल्लेखित किया कि दिनांक 08.09.2017 को मुझ अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, परन्तु न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 18.09.17 को एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उस आदेश की पालना को स्थगित किया जाना उचित है। चूँकि प्रार्थीया हेमी का देहान्त 4–5 माह पूर्व हो गया था, ऐसी स्थिति में उनका प्रार्थना पत्र स्वतः ही अबेट होने योग्य है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्टस् ने उक्त आदेश की पालना को 30 दिन के लिए स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.09.17 में उल्लेखित किया गया है कि "उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है।" साथ ही उक्त आदेशिका में प्रार्थीया हेमी के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लेने की दरख्वास्त प्रस्तुत की जिसके संबंध में पटवारी हल्का रायधनू से रिपोर्ट ली जाने का आदेश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को नियत की गई। तारीख पेशी 26.09.17 को वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.19 के अनुसार प्रार्थी हेमी के स्थान पर ना. सं. 1489 / 28.06.2017 के द्वारा हक त्याग दिनांक 14.06.17 से खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा को हेमी के मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार हेमी की मृत्यू 09.05.17 को होने से प्रकरण में प्रार्थी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम को माना जाकर पत्रावली 02.12.2019 को नियत की गई एवं पेशी दिनांक 02.12.2019 को वकुलाय की बहस सुन कर आदेश जैर अपील [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पटवारी [illegible] से स्पष्ट है कि ग्राम रायधनु के मूल खसरा नम्बर 261 में से खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम गुरड़ा के नाम दर्ज है। तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1045 / 261 की तरमीम की हुई होना पाया। रेकर्ड एवं मौके का मिलान करने पर खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि पर काशीराम व राजूराम

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अपीलान्टस् द्वारा पक्का मकान, टांका, बाड़ा आदि बनाकर अतिकमण किया हुआ होना बताया है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तैयार नजरी नक्शा ट्रेस दिनांक 30.12.2016 मौजा–रायधनु ख0नं0 1045/261 एवं जमाबन्दी ग्राम रायधनू संवत 2065–2068 खतौनी संख्या नई 174 पुरानी 167 से स्पष्ट है।

प्रार्थी हेमी के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1489/28.06.2017 के द्वारा हकत्याग दिनांक 14.06.17 से खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी चारम रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा को प्रार्थी मानकर रामनिवास को रेकर्ड पर लेकर उक्त वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.019 को पारित कर अपीलान्टस् काशीराम व राजूराम को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

प्रकरण में गलत तरमीम करने के संबंध में वकील अपीलान्ट कथन है। उक्त संबंध में पटवारी रायधनू द्वारा तैयार नजरी नक्शा ट्रेस से तरमीम की हुई होना स्पष्ट है। न्यायालय हाजा को तरमीम की वैधता के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। तरमीम यदि गलत हो तो उक्त संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा सकता है। उक्त तरमीम के संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालय में उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत व बनावटी आधारों पर होने का कथन करते खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील रेस्पोडेन्ट श्री भगवानसिंह की बहस का समर्थन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी रामनिवास पुत्र श्री चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र जाति गुरड़ा(मेघवाल) निवासी रायधनू द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रायधनू में स्थित खेत खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा स्वंय तथा अपनी माता की खातेदारी है। उक्त खेत पर काशीराम पुत्र लालाराम, राजुराम पुत्र काशीराम, लादुराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी रायधनू द्वारा जबरन नाजायज तौर पर कब्जा कर मकान बनाने शुरू कर दिये है, इत्यादि अवगत कराते हुऐ अपनी खातेदारी कि भूमि का नाप कर कब्जा दिलाने तथा अवैध रूप से बनाये गये मकानों को हटवाये जावे व विरोधी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार नागौर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी रायधनू द्वारा दिनांक 30.12.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2–10 बीघा भूमि पर हस्तगत प्रकरण के अपीलान्ट्स काशीराम पुत्र लालाराम जाति नाई व राजूराम पुत्र काशीराम जाति नाई द्वारा पक्का मकान, टांका, बाड़ा आदि बनाकर अतिकमण किया हुआ होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 हेमी बनाम काशीराम एवं राजूराम दर्ज कर अपीलान्टस् को नोटिस जारी किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट काशीराम व राजूराम अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अप्रार्थीगण रहे है।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.09.17 के अनुसार अपीलान्टस् के अनुपस्थित रहने पर अपीलान्टस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्श्चात दिनांक 18.09.2017 को आदेश पारित कर प्रार्थी हेमी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आदेश पारित होने के पश्चात वकील अपीलान्टस् द्वारा एक आवेदन दिनांक 19.09.17 को इस आशय का पेश किया कि दिनांक 08.09.2017 को मुझ अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, परन्तु न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 18.09.17 को एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उस आदेश की पालना को स्थगित किया जाना उचित है। चूँकि प्रार्थीया हेमी का देहान्त 4–5 माह पूर्व

कलक्टर, नागौर

हो गया था, ऐसी स्थिति में उनका प्रा0 पत्र स्वतः ही अबेट होने योग्य है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्टस् ने उक्त आदेश की पालना को 30 दिन के लिए स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.09.17 में उल्लेखित किया गया है कि "उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है।" साथ ही उक्त आदेशिका अनुसार वकील श्री भगवानसिंह द्वारा प्रार्थीया हेमी के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लेने की दरख्वास्त प्रस्तुत की जिसके संबंध में पटवारी हल्का रायधनू से रिपोर्ट ली जाने का आदेश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को नियत की गई। तारीख पेशी 26.09.17 को वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से जबाब प्रस्तुत किया व वकील श्री भगवानसिंह द्वारा प्रकरण में आपत्ति बाबत जबाब आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जबाब को रेकर्ड पर नहीं लेने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कायम मुकामान रेकर्ड पर लेने की दरख्वास्त व जबाब रेकर्ड पर लेने की दरख्वास्त की बहस हेतु नियत की गई।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.19 के अनुसार प्रार्थी हेमी के स्थान पर ना. सं. 1489/28.06.2017 के द्वारा हक त्याग दिनांक 14.06.17 से खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा को हेमी के मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार हेमी की मृत्यू 09.05.17 को होने से प्रकरण में प्रार्थी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम को माना जाकर पत्रावली 02.12.2019 को नियत की गई एवं पेशी दिनांक 02.12.2019 को वकुलाय की बहस सुन कर आदेश जैर अपील पारित किया गया।

प्रकरण में पटवारी हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.16 से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि अर्थात ग्राम रायधनु के मूल खसरा नम्बर 261 में से खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम गुरड़ा के नाम दर्ज है। तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई होना पाया। रेकर्ड एवं मौके का मिलान करने पर खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि पर काशीराम व राजूराम अपीलान्टस् द्वारा पक्का मकान, टांका, बाड़ा आदि बनाकर अतिकमण किया हुआ होना बताया है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तैयार नजरी नक्शा ट्रेस दिनांक 30.12.2016 मौजा–रायधनु ख0नं0 1045/261 एवं जमाबन्दी ग्राम रायधनू संवत 2065–2068 खतौनी संख्या नई 174 पुरानी 167 से स्पष्ट है।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.19 के अनुसार प्रकरण में पूर्व प्रार्थी हेमी के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1489/28.06.2017 के द्वारा हकत्याग दिनांक 14.06.17 से खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी चारम रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा को प्रार्थी माना है। इस प्रकार रामनिवास को रेकर्ड पर लेकर उक्त वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.019 को पारित कर अपीलान्टस् काशीराम व राजूराम को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतया उचित है।

वकील अपीलान्ट ने हस्तगत प्रकरण में अतिक्रमित वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की अपनी खातेदारी की भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट ने स्वंय का कब्जा होने बाबत कथन किया है, परन्तु उक्त कब्जा आवंटन से पूर्व होने बाबत कोई ठोस प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

वकील अपीलान्ट ने गलत [illegible] जो कथन किये है, उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में पटवारी रायधनू [illegible] नजरी नक्शा ट्रेस से तरमीम की हुई होना स्पष्ट है। न्यायालय हाजा [illegible] क्षेत्राधिकार नहीं है। तरमीम यदि गलत हो तो उक्त संबंध में सक्षम राजस्व [illegible]लय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.07.19 को प्रस्तुत सूची दस्तावेज के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.[illegible]) नागौर में काशीराम द्वारा धारा 131 व 136 राज. भू. राजस्व. अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 54/18 काशीराम बनाम सरकार में सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) नागौर द्वारा पारित आदेश (दिनांक स्पष्ट नहीं) की प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत की है, जिसमें ग्राम रायधनू के खसरा नम्बर 261 में से 2बीघा 10 बिस्वा भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त तरमीम के संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालय में उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जा सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.019 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन होकर स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। चूँकि वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) का अंतरिम आदेश होना बताया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को आदेश जैर अपील के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ हो, तो विधिवत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को निर्देश दिये जाते है कि आदेश जैर अपील के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ हो, तो उक्त संबंध में विधिवत कार्यवाही करावें। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:33:54 IST
Reason: SelfAttested